15.01.2020	पत्रावली पेश हुई। अपीलार्थी उपस्थित। लोक सूचना अधिकारी उपखण्ड अधिकारी, आमेर जिला जयपुर को जरिये नोटिस क्रमांक आर.टी.आई./2020/01 दिनांक 01.01.2020 द्वारा निर्देशित किया गया था कि प्रार्थी/अपीलान्ट द्वारा चाही गई सूचना प्रार्थी को उपलब्ध कराई जावे तथा अपील का बिन्दुवार उत्तर दिनांक 15.01.2020 से पूर्व इस न्यायालय को प्रेषित कराना सुनिश्चित किया जावें। इसके पश्चात् नोटिस का जवाब प्राप्त नही हुआ। प्रार्थी द्वारा दिनांक 20.11.2019 को लोक सूचना अधिकारी उपखण्ड अधिकारी, आमेर जिला जयपुर को सूचना के अधिकार के तहत सूचना उपलब्ध कराने हेतु प्रार्थना पत्र प्रस्तुत/प्रेषित किया गया था। दिनांक 19.12.2019 तक भी प्रार्थी/अपीलान्ट को लोक सूचना अधिकारी एवं उपखण्ड अधिकारी, आमेर द्वारा सूचना के अधिकार के तहत सूचना उपलब्ध नही कराने पर अप्रालार्थी द्वारा इस न्यायालय में अपील दिनांक 23.12.2019 को प्रस्तुत की गई। अपील प्राप्त होने पर दर्ज रजिस्टर कराई जाकर लोक सूचना अधिकारी एवं उपखण्ड अधिकारी, आमेर को नोटिस जारी किया गया। लोक सूचना अधिकारी एवं उपखण्ड अधिकारी, आमेर द्वारा नियत तारीख पेशी तक ना तो इस न्यायालय को कोई जवाब भिजवाया है ना ही अपीलार्थी को सूचना उपलब्ध नही कराने के संबंध में कारण सहित कोई जवाब प्रेषित किया गया है। हमने पत्रावली का अवलोकन किया। अपीलार्थी द्वारा उपखण्ड अधिकारी, आमेर से सूचना चाही गई है लोक सूचना अधिकारी द्वारा इस न्यायालय को नियत तिथी तक बिन्दुवार जवाब/सूचना आदिनांक तक प्रस्तुत नही की गई है। अतः अपील अपीलार्थी स्वीकार की जाकर लोक सूचना अधिकारी एवं उपखण्ड अधिकारी, आमेर को निर्देशित किया जाता है कि प्रार्थी द्वारा वांछित सूचना सूचना के अधिकार अधिनियम, 2005 के तहत दी जा सकती है तो प्रार्थी को निःशुल्क सूचना उपलब्ध कराई जावें। इस हेतु लोक सूचना अधिकारी उपखण्ड अधिकारी, आमेर, जिला जयपुर एवं प्रार्थी को पालना हेतु पत्र जारी हो। पत्रावली फैसल शुमार होकर दर्ज नम्बर से कम हो। बाद तकमील दाखिल दफ्तर हो। निर्णय आज दिनांक 15.01.2020 को सरे इजलास सुनाया गया। (डॉ. अशोक कुमार) **प्रथम अपीलीय अधिकारी एवं** **अति. कलक्टर (चतुर्थ), जयपुर**

15-1-2020

Scanned by CamScanner

Signature Not Verified

Digitally signed by Ashok Kumar
Date: 2020.02.07 16:25:30 IST
Reason: SelfAttested